

21.2.23

40/2023

R-7

वकील वादी की ओर से पत्रावली तलब करने का प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली आप पेशी में ली गई। वादी की ओर से उक्त वाद में राजीनामा हो जाने के कारण वाद विद्रोपल कर खारिज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। वादी की पट्ट्याग वकील श्री रघुवीर सिंह पुरोहित ने की। वकील वादी को प्रार्थना पत्र पर लुता गया। पत्रावली का अटर्नेन्स एवं अवलोकन किया गया। आदेश में वादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बावत वाद विद्रो करने का स्वीकार भोज्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः वादी की ओर से वाद अटर्गल धारा (40, 88, 198) RT Act का जोरिद सिद्धो खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल केवल गुप्तार होकर दारिबल इफर हो नम्बर के काम हो।

*[Signature]*  
21/2/23

सहायक जज, सिविल  
अधिकार, साधारण

